

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर


उनवान:- गाम पंचायत गुंगारा

बनाम

तहसीलदार सीकर

किस्म:- प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 एलआर एक्ट 1957

मु.न.- वि 100 / वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा पत्र
24 <sup>06</sup> / <sub>2025</sub>	<p>तहसीलदार, सीकर ने पत्र क्रमांक-राजस्व/आवंटन /2025/694 दिनांक 02.06.2024 द्वारा राजस्व ग्राम गुंगारा पटवार हल्का गुंगारा, तहसील व जिला सीकर के खसरा नम्बर 1589, 1592, 1593, 1597, 1594, 1595 में से गुजर रहे रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने बाबत रास्ते का प्रस्ताव भिजवाया है। रिपोर्ट में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार राजस्व ग्राम गुंगारा पटवार हल्का गुंगारा, तहसील व जिला सीकर के खसरा नम्बर 1589, 1592, 1593, 1597, 1594, 1595 में से मौके पर रास्ता चालू हैं तथा आवागमन के काम में लिया जा रहा हैं तथा रास्ते को कटाण में करने के सम्बन्ध में खातेदारों द्वारा प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रदान की गई है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। तहसीलदार सीकर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता हैं तथा खसरा नम्बर 1589 रकबा 0.75 हैक्ट में से 0.10 हैक्ट, खसरा नम्बर 1592 रकबा 0.68 हैक्ट में से 0.0560 हैक्ट, खसरा नम्बर 1593 रकबा 1.32 हैक्ट में से 0.1025 हैक्ट, खसरा नम्बर 1597 रकबा 1.27 हैक्ट में से 0.1200 हैक्ट, खसरा नम्बर 1594 रकबा 0.67 हैक्ट में से 0.07 हैक्ट, खसरा नम्बर 1595 रकबा 0.69 हैक्ट में से 0.0440 हैक्ट वाके ग्राम गुंगारा तहसील व जिला सीकर की भूमि को रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार राजस्व रिकार्ड में गै.मु. रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। गैर मुमकिन रास्ते की भूमि सम्बन्धित खातेदारान के खाते में ही रहेगी। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तजबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;"> उपखण्ड अधिकारी सीकर सीकर (राज.)</p>